न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 02/2021 जनसुनवाई
दायर दिनांक - 30.11.2021
निर्णय दिनांक - 13.12.2021

श्री कैलाशचन्द्र पुत्रश्री राधाकिशन रामावत, मु.पो. 869, चैतन्य प्रभु राधे कृष्णा सेवा संस्थान, मेनार वाया खेरोदा, उदयपुर	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर, उदयपुर।

द्वितीय अपील अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

-: निर्णय :-

श्री कैलाशचन्द्र पुत्रश्री राधाकिशन रामावत, मु.पो. 869, चैतन्य प्रभु राधे कृष्णा सेवा संस्थान, मेनार वाया खेरोदा, उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत अपील दिनांक 26.11.2021 को संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जो दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त होकर दिनांक 30.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी की समस्या का निस्तारण की बजाय गुमराह कर उपखण्ड अधिकारी समक्ष दावा प्रस्तुत करने के कथनों से व्यथित होकरयह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक 4319 दिनांक 30.11.2021 से श्री कैलाशचन्द्र रामावत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 06.12.2021 को प्रेषित कर अवगत किया कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 में प्रस्तुत प्रथम अपील को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु परामर्श दिया जाकर प्रथम अपील निस्तारित की गई।

प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 4462 दिनांक 08.12.2021 से भिजवाते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया। रजिस्टर्ड विभाग (Receipt No. ER669302894IN) के बेवसाईट अनुसार उक्त पत्र दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त हो चुका है।

प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी दिनांक 13.12.2021 को उपस्थित होकर अपना लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत कथनों को दौहराया।

अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत लिखित प्रत्युतर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख एवं निर्णयों से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते से संबंधित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क अनुसार अन्य खातेदार की भूमि में से नया मार्ग एवं विद्यमान मार्ग के विस्तार के संबंध में यदि मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो

ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी परिवादी के द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जा रही भूमि निजी खातेदार की होने से अपीलार्थी परिवारी सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उक्त अधिनियम के तहत चाराजोई कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है, परन्तु अपीलार्थी परिवादी द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद प्रस्तुत कर इमदाद प्राप्त करना चाहता है, जो सिर्फ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत कार्यवाही कर ही प्राप्त की जा सकती है। यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया और नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी अपीलार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को उक्त विधिक प्रक्रिया से ससमय अवगत कराया गया और विधि सम्मत निर्णय पारित किये गये, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के सम्बन्ध मे सक्षम उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत आवेदन हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर मय अभिलेख।
2. श्री कैलाशचन्द्र पुत्रश्री राधाकिशन रामावत, मु.पो. 869, चैतन्य प्रभु राधे कृष्णा सेवा संस्थान, मेनार वाया खेरोदा, उदयपुर

संभागीय आयुक्त, उदयपुर